प्रेस विज्ञप्ति

18/2/2026

ईडी ने पीएसीएल धन-शोधन मामले में 10,021.46 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एसएएस नगर, रूपनगर, ज़ीरकपुर और मोहाली में स्थित 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी व 420 के तहत दिनांक 19.02.2014 को पंजीकृत एफआईआर संख्या आरसीबीडी1/2014/ई/0004 के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पंजीकृत किया गया था। तदनुसार, सीबीआई ने अवैध निवेश योजना चलाने में भूमिका के लिए 33 आरोपितों, जिसमें व्यक्ति व कंपनियां शामिल थे, के खिलाफ एक आरोप-पत्र व एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया था।

आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपित कंपनियों व व्यक्तियों ने एक व्यापक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूखंड बेचने व उसे विकसित करने के बहाने भारत भर में लाखों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट भुगतान योजना के तहत निवेश करने के लिए उकसाया गया, और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेजों जैसे करारनामा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी व अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। ज़्यादातर मामलों में, भूमि कभी प्रदान नहीं की गई, और निवेशकों के लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी देय हैं। उक्त योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और अवैध लाभ के लिए अनेक फ्रंट कंपनियों और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल किया गया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.02.2016 के अपने आदेश के माध्यम से सेबी को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, ताकि पीएसीएल द्वारा खरीदी गई भूमि का निपटान किया जा सके और बिक्री की राशि निवेशकों में वितरित की जा सके। हालांकि, आगे की जांच में पीएसीएल की संपत्तियों के अवैध रूप से अपव्यय का पता चला, जिसके कारण पंजाब सतर्कता ब्यूरो, जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन, जयपुर और अत्तिबेले पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा निवेशकों के धन का उपयोग करके अधिग्रहित भूमि की अवैध बिक्री, अतिक्रमण और दुरुपयोग के लिए तीन अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गईं। उक्त मामलों में की गई तलाशी के परिणामस्वरूप अपराध की आय को ठिकाने लगाने के प्रयासों का संकेत देने वाले रिक्त बिक्री विलेख, हस्ताक्षरित चेक बुक तथा पहचान दस्तावेजों सहित अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई।

ईडी ने अपराध की आय के शोधन मे शामिल अलग-अलग आरोपितों व संस्थाओं के विरुद्ध 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज की तथा 2018 में एक अभियोजन शिकायत, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में तीन पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर कीं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने अब तक दायर की गई सभी अभियोजन शिकायतों का संज्ञान लिया है।

कुर्क की गई 247 संपत्तियों की पहचान निवेशकों की एकत्र धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों के तौर पर हुई है, जोकि अपराध की आय है। उक्त कुर्की के साथ, ईडी अब तक भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

आगे की जांच जारी है।